संख्या 36011/13/2020-बीपीएंडएल (वॉल्यूम-III)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2026

आदेश

भारत सरकार ने देश में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के कार्यकरण एवं संचालन को विनियमित करने हेतु दिनांक 16.01.2014 को "भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश" जारी किए थे।

2. बदलते मीडिया परिदृश्य तथा अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं जवाबदेह टेलीविजन दर्शक मापन ढांचे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वर्तमान नीतिगत ढांचे की व्यापक समीक्षा की है।

3. तदनुसार, भारत सरकार ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में संशोधन करने तथा "टीवी रेटिंग नीति 2026 - टेलीविजन रेटिंग के विनियमन संबंधी दिशानिर्देश" शीर्षक से संशोधित नीति लागू करने का निर्णय लिया है।

4. यह "टीवी रेटिंग नीति 2026 - टेलीविजन रेटिंग के विनियमन संबंधी दिशानिर्देश" इसके जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा दिनांक 16.01.2014 की पूर्व नीतिगत दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करेगी।

27/3/26

(प्रभात)

अपर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-24015803

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

टीवी रेटिंग नीति 2026

टेलीविजन रेटिंग के विनियमन संबंधी दिशानिर्देश

टेलीविजन रेटिंग भारत के प्रसारण इकोसिस्टम तंत्र की आधारभूत इकाई है। ये कार्यक्रम निर्धारण, विज्ञापन निवेश तथा सामग्री रणनीतियों को दिशा प्रदान करती हैं, जो ऐसे क्षेत्र में लागू हैं जो करोड़ों दर्शकों तक पहुँचता है। अतः इस डेटा की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण लोक हित का विषय है, जिसका सीधा प्रभाव नागरिकों को उपलब्ध टेलीविजन सामग्री की विविधता, गुणवत्ता तथा पहुंच पर पड़ता है।

टेलीविजन के दर्शकों के मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टेलीविजन रेटिंग हेतु एक सुदृढ़ विनियामक ढांचा आवश्यक है। प्रसारण क्षेत्र के विनियमन एवं विकास के अपने दायित्व के निर्वहन में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए ये नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

ये दिशानिर्देश भारत में टेलीविजन रेटिंग सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों के पंजीकरण, संचालन, लेखा-परीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करते हैं। इनका समग्र उद्देश्य जनहित की रक्षा करना तथा एक निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक एवं सुशासित प्रसारण वातावरण को प्रोत्साहित करना है।

1. पात्रता मानदंड

1.1 टेलीविजन रेटिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु टेलीविजन रेटिंग एजेंसी ("एजेंसी") के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला आवेदक भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी होनी चाहिए।

1.2 कंपनी आवेदन के समय शेयरधारक करार, ऋण करारों तथा अन्य ऐसे करारों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी, जो निष्पादित किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है। इन करारों से संबंधित किसी भी बाद के परिवर्तन, जो उपर्युक्त करारों को प्रभावित करते हों, की सूचना 15 दिनों के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी जाएगी।

1.3 कंपनी के संगम ज्ञापन (एमओए) में रेटिंग सेवाएं या बाजार अनुसंधान को उसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में निर्दिष्ट होना चाहिए।

1.4 टेलीविजन रेटिंग कंपनी के निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य प्रसारण/विज्ञापन/विज्ञापन एजेंसी के व्यवसाय से संबद्ध नहीं होना चाहिए।

1.5 कंपनी की न्यूनतम निवल मालियत (Net worth) ₹5 करोड़ होनी चाहिए। निवल मालियत (Net worth) की गणना निर्धारित प्रपत्र (तालिका 3) के अनुसार की जाएगी तथा इसे कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

1.6 कंपनी निम्नलिखित क्रॉस-होल्डिंग संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी:

(क) कोई भी एकल कंपनी/विधिक इकाई, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अपने सहयोगियों अथवा परस्पर संबद्ध उपक्रमों के माध्यम से, रेटिंग एजेंसियों तथा प्रसारकों/विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों में महत्वपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी नहीं रखेगी।

(ख) कोई भी एकल कंपनी/विधिक इकाई, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अपने सहयोगियों अथवा परस्पर संबद्ध उपक्रमों के माध्यम से, एक ही क्षेत्र में कार्यरत एक से अधिक रेटिंग एजेंसियों में महत्वपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी नहीं रखेगी।

(ग) क्रॉस-होल्डिंग संबंधी प्रतिबंध विधिक इकाइयों के अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रवर्तकों (प्रमोटरों) पर भी लागू होंगे।

(घ) रेटिंग एजेंसी की प्रवर्तक कंपनी/निदेशक मंडल का कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अपने सहयोगियों अथवा परस्पर संबद्ध उपक्रमों के माध्यम से, किसी प्रसारक/विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी में हिस्सेदारी नहीं रख सकता।

स्पष्टीकरण: पैरा 1.6 के प्रयोजन हेतु "महत्वपूर्ण इक्विटी" से अभिप्राय चुकता इक्विटी का 10% या उससे अधिक होगा। कंपनियों में ऐसी महत्वपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का होना क्रॉस-होल्डिंग माना जाएगा।

परंतु यह कि पैरा 1.4, 1.5 एवं 1.6 में उल्लिखित पात्रता शर्तें उस स्व-विनियमन मॉडल पर लागू नहीं होंगी, जिसमें उद्योग-प्रेरित निकाय, जैसे कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क), स्वयं रेटिंग प्रदान करता है।

1.7 टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

2. पंजीकरण की अवधि

2.1 रेटिंग एजेंसी के लिए पंजीकरण की अवधि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस तरह के पंजीकरण के जारी होने की तिथि से दस (10) वर्ष होगी।

3. पंजीकरण शुल्क

3.1 आवेदक कंपनी पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹10 लाख की राशि का "वेतन और लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में, नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा भारत सरकार के भारतकोष पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करेगी।

4. मूल शर्तें और दायित्व

4.1 कंपनी, उसके निदेशक मंडल के सभी निदेशक तथा ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी (सीओओ), जैसा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

4.2 कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति तथा ऐसे प्रमुख अधिकारियों जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी (सीओओ) आदि, जैसा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, की नियुक्ति के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.3 निदेशक मंडल में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनका प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं या विज्ञापन एजेंसियों से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा, ताकि निष्पक्षता, स्वतंत्रता और सुशासन मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

4.4 कंपनी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करे।

4.5 पात्र घोषित किए जाने के पश्चात, आवेदक कंपनी पंजीकरण जारी होने से पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में ₹25 लाख एवं ₹75 लाख की दो पृथक बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी पंजीकरण अवधि के दौरान इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करेगी। बैंक गारंटी की वैधता पंजीकरण जारी होने की तिथि से 10 वर्ष होगी।

4.6 कंपनी किसी भी प्रकार की परामर्श (कंसल्टेंसी) या ऐसी सलाहकार की भूमिका जैसा कार्यकलाप नहीं करेगी, जिससे उसके मुख्य उद्देश्य अर्थात रेटिंग प्रदान करने के कार्य के साथ संभावित हितों का टकराव उत्पन्न हो।

4.7 कंपनी का प्रसारकों के साथ हितों का कोई टकराव नहीं होगा।

4.8 कंपनी पंजीकरण की पूरी अवधि के दौरान अपनी पात्रता बनाए रखेगी तथा इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करेगी, अन्यथा पैरा 10 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

5. दर्शक मापन हेतु कार्यप्रणाली

कंपनी एक ऐसी रेटिंग कार्यप्रणाली स्थापित करेगी जो निम्नलिखित शर्तों/मानकों/मानदंडों के अनुरूप हो:

5.1 व्यूइंग प्लेटफॉर्म

5.1.1 रेटिंग तकनीकी रूप से निष्पक्ष (टेक्नोलॉजी न्यूट्रल) होनी चाहिए व्यूइंग के विभिन्न मंचो जैसे केबल टीवी, डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), स्थलीय टीवी, ओटीटी, कनेक्टेड टीवी तथा जहाँ भी संभव हो, अन्य सभी उपलब्ध मंचों पर दर्शक डेटा को संकलित करेगी।

5.2 मीटरयुक्त घरों का चयन

5.2.1 कंपनी "टीवी यूनिवर्स" – अर्थात टेलीविजन वाले कुल घरों की संख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल तथा देखने (व्यूइंग) की अवसंरचना का आकलन करने हेतु एक एस्टेब्लिशमेंट सर्वे करेगी। यह सर्वेक्षण टीवी घरों की वृद्धि, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, नए वितरण प्लेटफार्मों के विस्तार तथा विभिन्न बाजारों में वृद्धि के अंतर को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष किया जाएगा। स्थापना सर्वेक्षण में शामिल घरों की संख्या मीटरयुक्त घरों की संख्या से कम से कम दस गुना होनी चाहिए।

5.2.2 मीटरयुक्त घरों का चयन आयु वर्ग, सामाजिक-आर्थिक श्रेणी, लिंग, कार्य स्थिति, विभिन्न वितरण प्लेटफार्मों, सभी राज्यों तथा शहरी एवं ग्रामीण बाजारों जैसे विशिष्ट वर्गों के लक्षित दर्शक वितरण के आधार पर किया जाएगा। भौगोलिक प्रतिनिधित्व टीवी देखने वाली जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया जाएगा।

5.2.3 मीटरयुक्त घरों में उपलब्ध सभी टीवी व्यूइंग स्क्रीन से डेटा संकलित किया जाएगा।

5.2.4 कंपनी सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त संख्या में मीटरयुक्त घर स्थापित करेगी तथा टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण के 18 महीनों के भीतर कम से कम 80,000 मीटरयुक्त घर स्थापित करना

अनिवार्य होगा। इसके पश्चात, मीटरयुक्त घरों की संख्या प्रत्येक वर्ष 10,000 की वृद्धि के साथ बढ़ाई जाएगी, जब तक कि यह संख्या 1,20,000 तक न पहुँच जाए।

परंतु यह कि वर्तमान टेलीविजन रेटिंग एजेंसी इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तिथि से 6 महीनों के भीतर मीटरयुक्त घरों की संख्या 80,000 तक बढ़ाएगी तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष 10,000 की वृद्धि करते हुए इसे 1,20,000 तक पहुँचाया जाएगा।

यह भी प्रावधान है कि एजेंसी अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार 1,20,000 से अधिक मीटरयुक्त घर स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

5.2.5 रेटिंग एजेंसी पहचान किए गए मीटरयुक्त घरों में प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं तथा विज्ञापन एजेंसियों के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या प्रतिनिधि को शामिल नहीं करेगी।

5.2.6 मीटरयुक्त घरों को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा, ताकि वितरण प्लेटफार्मों में हो रहे विकास, दर्शक संख्या में वृद्धि आदि को परिलक्षित किया जा सके।

5.3 गोपनीयता

5.3.1 मीटरयुक्त घरों की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। सभी हितधारकों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन हेतु आवश्यक तंत्र विकसित करना होगा।

5.3.2 निर्धारित संख्या से 10% अतिरिक्त मीटरयुक्त घर स्थापित किए जाएंगे। गणना हेतु आवश्यक वास्तविक मीटरयुक्त घरों का चयन कुल स्थापित मीटरयुक्त घरों में से यादृच्छिक (रैंडम) रूप से किया जाएगा। एजेंसी असामान्य देखने के व्यवहार वाले बाहरी अपवादों (आउटलायर्स) की पहचान कर ऐसे डेटा को हटाने के लिए आवश्यक एल्गोरिद्म का उपयोग करेगी।

5.3.3 प्रत्येक वर्ष 25% मीटरयुक्त घरों का रोटेशन किया जाएगा। यह रोटेशन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रतिनिधित्व बनाए रखते हुए पुराने मीटरयुक्त घरों को पहले हटाया जाए। इस रोटेशन को चरणबद्ध तरीके से, प्रत्येक माह मीटरयुक्त घरों को बदलते हुए लागू किया जाएगा।

5.4 डेटा विश्लेषण

5.4.1 एजेंसी द्वारा बेसिक रॉ मेजरमेंट डेटा को रेटिंग रिपोर्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सभी वेटिंग या डेटा समायोजन प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित एवं तार्किक प्रक्रियाओं पर आधरित होंगी तथा उनका निरंतर समान रूप से अनुप्रयोग किया जाएगा।

परंतु यह कि लैंडिंग पेज से उत्पन्न किसी भी दर्शक संख्या को दर्शक मापन में शामिल नहीं किया जाएगा। लैंडिंग पेज का उपयोग केवल विपणन उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

परंतु यह भी कि प्रसारक, यदि उनके चैनल की उपलब्धता किसी लैंडिंग पेज पर है, तो उसकी जानकारी रेटिंग एजेंसी को देंगे।

5.4.2 रेटिंग प्रणाली में किसी भी प्रकार की कमी, त्रुटि या सीमाओं को रेटिंग रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाएगा तथा रेटिंग प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जाएगी।

5.4.3 यदि एजेंसी यह पाती है कि किसी उत्तरदाता द्वारा मनगढ़ंत जानकारी प्रस्तुत कर मापन परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे मामलों को विश्लेषण से बाहर कर दिया जाएगा। यदि ऐसे मामले प्रकाशित आंकड़ों में शामिल हो गए हों, तो एजेंसी परिणामों पर उनके प्रभाव का आकलन करेगी तथा उसकी व्यावहारिक महत्ता के संकेत के साथ उपयोगकर्ताओं को इसकी सूचना देगी।

5.5 पारदर्शिता

5.5.1 मीटरयुक्त घरों के चयन तथा उनके रोटेशन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सार्वजनिक पहुंच हेतु एजेंसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

5.5.2 एजेंसी रेटिंग की गणना के लिए उपयोग की गई विस्तृत कार्यप्रणाली तथा अनामीकृत (अनॉनिमाइज्ड) डेटा सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा इसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगी।

6. शिकायत निवारण तंत्र

एजेंसी एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी तथा उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

6.1 शिकायत प्रबंधन

6.1.1 कंपनी ग्राहकों या हितधारकों से शिकायतों को पत्र, ईमेल, मोबाइल संदेश, टेलीफोन कॉल आदि विभिन्न माध्यमों से स्वीकार करेगी।

6.1.2 उपर्युक्त माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों की प्राप्ति की विधिवत पुष्टि की जाएगी, दर्ज किया जाएगा तथा निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा।

6.2 नोडल अधिकारी की नियुक्ति या नामांकन

6.2.1 एजेंसी अपने संचालन के प्रारंभ के साथ ही शिकायत निवारण के उद्देश्य से एक या अधिक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति या नामांकन करेगी।

6.2.2 एजेंसी नोडल अधिकारी की नियुक्ति, नामांकन या उसमें किसी भी परिवर्तन के तुरंत पश्चात:

(क) ऐसे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति/नामांकन या उसमें हुए किसी भी परिवर्तन का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी;
(ख) अपने प्रत्येक कार्यालय, वेबसाइट तथा नोडल अधिकारी के कार्यालय में नोडल अधिकारियों का नाम, पता, दूरभाष संख्या, ई-मेल पता, फैक्स संख्या तथा उनसे संपर्क करने के अन्य माध्यमों को प्रदर्शित करेगी।

6.3 नोडल अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण

6.3.1 प्रत्येक नोडल अधिकारी:

(क) शिकायतकर्ता के लिए उस पते पर सुलभ होगा जिसका प्रचार-प्रसार किया गया हो,
(ख) दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत / अभ्यावेदन का पंजीकरण करेगा

(ग) शिकायत की प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर संबंधित शिकायतकर्ता को एक पावती जारी करेगा, जिसमें विशिष्ट शिकायत संख्या का उल्लेख होगा,

(घ) नीचे पैरा 6.4 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, ऐसी शिकायत के संबंध में लिए गए निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को देगा, और यह सूचना शिकायत के निवारण हेतु उपचारात्मक उपाय करने के तुरंत बाद प्रदान की जाएगी।

6.4 नोडल अधिकारी द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा

6.4.1 नोडल अधिकारी ऐसी शिकायतों के पंजीकरण के दस दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान या निवारण करेगा।

6.5 अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना

6.5.1 यदि कोई शिकायतकर्ता नोडल अधिकारी द्वारा किए गए निपटान से संतुष्ट नहीं है तो एजेंसी शिकायतों के निवारण हेतु एक अपीलीय प्राधिकरण स्थापित करेगी।
6.5.2 अपील दायर करने की प्रक्रिया एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। नोडल अधिकारी द्वारा

निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारित न की गई कोई भी शिकायत स्वतः ही अपीलीय प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।

6.5.3 अपीलीय प्राधिकरण अपील की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटान करेगा।

6.6 शिकायतों के अभिलेखों का रखरखाव और प्रकाशन

6.6.1 एजेंसी प्राप्त तथा निस्तारित शिकायतों के संबंध में तथा उन्हें निस्तारित करने में लगे समय सहित आंकड़ों का उसकी वेबसाइट पर प्रकाशन करेगी।

6.6.2 पैरा 6.6.1 में निर्धारित अभिलेख शिकायत के निवारण की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने तक सुरक्षित रखे जाएंगे तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाए, एजेंसी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करेगी।

6.7 सरकार द्वारा अग्रेषित शिकायतें

6.7.1 सरकार द्वारा उसे सीधी प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा।

6.7.2 एजेंसी पैरा 6 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायतों का समाधान या निवारण करेगी।

7. रेटिंग की बिक्री और उपयोग

7.1 रेटिंग डेटा / रिपोर्टों की के लिए दरें भेदभावरहित तथा पारदर्शी होंगी तथा रेटिंग डेटा / रिपोर्टों की बिक्री या उपयोग हेतु दर-सूची (रेटकार्ड) एजेंसी द्वारा सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित की जाएगी।

7.2 एजेंसी द्वारा उत्पन्न डेटा सभी इच्छुक हितधारकों को भुगतान के आधार पर पारदर्शी एवं न्यायसंगत तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।

7.3 ऐसे डेटा का उपयोग रेटिंग डेटा प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

7.4 एजेंसी अपने वेबसाइट पर उपयोग हेतु उपलब्ध डेटा / रिपोर्टों की श्रेणियों को नियमों एवं शर्तों सहित प्रकाशित करेगी।

7.5 डेटा / रिपोर्टों को किसी तृतीय पक्ष के साथ या सार्वजनिक डोमेन में साझा करना एजेंसी की निष्पक्ष उपयोग नीति के अधीन अनुमत्य होगा। ऐसी निष्पक्ष उपयोग नीति रेटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी।

8. पारदर्शिता

8.1 एजेंसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया जाएगा:

(क) संभावित त्रुटियों के स्रोतों सहित स्पष्ट शब्दों में विस्तृत रेटिंग कार्यप्रणाली।
(ख) भौगोलिक तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कवरेज का विवरण।
(ग) हितों के टकराव के संभावित स्रोत, जो निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पक्षपातरहित रेटिंग करने की इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

(घ) सभी बाह्य एवं आंतरिक परिचालनों के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं, जिनका अंतिम परिणामों पर महत्वपूर्ण हो सकता है।

(ङ) विभिन्न रिपोर्टों के लिए दर-सूची तथा उन पर प्रदान की गई छूट।

(च) एजेंसी का स्वामित्व पैटर्न, जिसमें एजेंसी में विदेशी निवेश / संयुक्त उद्यम / सहयोगी शामिल हैं।
(छ) त्रैमासिक / वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें।

(ज) शिकायत निवारण के संख्यिकी संबंधी ऑकड़े।

(झ) रेटिंग डेटा के उपयोगकर्ताओं की टिप्पणियां / दृष्टिकोण।

(ञ) मुख्य कार्यपालकों तथा निदेशक मंडल का विवरण।

9. लेखा परीक्षा की आवश्यकता

9.1 एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं तथा सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, एक आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित करेगी। यह लेखा परीक्षण त्रैमासिक रूप से किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट उसके वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

9.2 एजेंसी अपने रेटिंग प्रक्रिया / प्रणाली की प्रति वर्ष एक योग्य स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराएगी। एजेंसी के लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख करेंगे कि एक विश्वसनीय रेटिंग प्रणाली के लिए उचित तंत्र एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं या नहीं। स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एजेंसी के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

9.3 लेखा परीक्षा की लागत संबंधित टेलीविजन रेटिंग एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।

9.4 सूचना और प्रसारण मंत्रालय आवश्यकता उत्पन्न होने पर एजेंसी की प्रणालियों / प्रक्रियाओं / तंत्रों का लेखा परीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9.5 टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के आवधिक सांख्यिकीय, तकनीकी तथा क्षेत्र-स्तरीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण करने के लिए एक मंत्रालय-स्तरीय लेखा परीक्षा एवं पर्यवेक्षण टीम का गठन किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए टीम स्वतंत्र विशेषज्ञों या विशेषीकृत एजेंसियों को सह-समाविष्ट कर सकती है।

9.6 शिकायतों, जोखिम प्रोफाइलिंग, या खुफिया सूचनाओं के आधार पर विशेष लेखा परीक्षा के अतिरिक्त ऐसी लेखा परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

10. दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

एजेंसी द्वारा इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रकार का गैर अनुपालन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दंड आरोपित किए जाएंगे।

10.1 दंड

10.1.1 किसी भी उल्लंघन पर निम्नानुसार क्रमबद्ध दंड लगाए जाएंगे:

(क) प्रथम उल्लंघन: एक माह के लिए रेटिंग का निलंबन।
(ख) प्रथम उल्लंघन की तिथि से एक वर्ष के भीतर दूसरा उल्लंघन: दो माह के लिए रेटिंग का निलंबन तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत ₹ 25 लाख की बैंक गारंटी की जब्ती।
(ग) प्रथम उल्लंघन की तिथि से एक वर्ष के भीतर तीसरा उल्लंघन: तीन माह के लिए रेटिंग का निलंबन तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत ₹ 75 लाख की बैंक गारंटी की जब्ती ।
(घ) प्रथम उल्लंघन की तिथि से एक वर्ष के भीतर चौथा उल्लंघन: पंजीकरण का निरस्तीकरण।

10.1.2 दंड लगाए जाने की स्थिति में, सरकार एजेंसी या उसके निवेशकों द्वारा पहले से किए गए किसी भी निवेश के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

10.1.3 पैरा 10.1.1 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एजेंसी के विरुद्ध की गई कोई भी कार्रवाई केवल कंपनी को कारण बताओ नोटिस लिखित रूप में देने तथा उत्तर के लिए उचित समय प्रदान करने के पश्चात ही की जाएगी। एजेंसी से असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर दंड लगाए जाएंगे।

10.2 पंजीकरण का अभ्यर्पण (सरेंडर)

10.2.1 कंपनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ सभी संबंधित/प्रभावित पक्षों को एक महीने की अग्रिम सूचना देकर पंजीकरण को सरेंडर कर सकती है।

11. निरीक्षण

11.1 भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को उन परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जहाँ रेटिंग एजेंसियां रेटिंग तैयार करती है। सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पूर्व अनुमति / सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। एजेंसी, यदि सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित हो, तो एजेंसी की गतिविधियों तथा परिचालनों के किसी विशेष पहलू के लिए सतत निगरानी हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी।

11.2 भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सामान्यतः उचित सूचना के पश्चात निरीक्षण किया जाएगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ ऐसी सूचना देना निष्पक्ष एवं पारदर्शी रेटिंग के हित में न हो।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य शर्तें

12.1 सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एजेंसी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में संचालन से प्रतिबंधित कर सकती है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एजेंसी की समस्त सेवाओं एवं नेटवर्क का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या आपातकाल अथवा युद्ध के हित में, कंपनी को पूर्व सूचना दिए बिना, एजेंसी के रेटिंग परिचालनों को निर्दिष्ट अवधि के लिए निरस्त / समाप्त / निलंबित कर सकती है। कंपनी इस संबंध में जारी किसी भी निदेश का तत्काल अनुपालन करेगी, अन्यथा प्रदान किया गया पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा तथा कंपनी को भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसा कोई भी पंजीकरण धारण करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

परंतु यह भी प्रावधान है कि उपर्युक्त अनुसार सेवाओं का अधिग्रहण या पंजीकरण का निलंबन, या किसी निर्देश का जारी किया जाना, न तो पंजीकरण अवधि के विस्तार का आधार होगा और न ही किसी क्षतिपूर्ति का।

12.2 कंपनी भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति / स्थान को डेटाबेस का अंतरण नहीं करेगी, जब तक कि संबंधित विधि द्वारा इसकी अनुमति न दी गई हो।

13. सुरक्षा मंजूरी

13.1 एजेंसी का पंजीकरण इस शर्त के अधीन होगा कि पंजीकरण की अवधि के दौरान कंपनी की सुरक्षा मंजूरी निरंतर बनी रहे। यदि सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली जाती है तब प्रदान किया गया पंजीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

13.2 एजेंसी से संबद्ध किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा मंजूरी को सरकार द्वारा किसी भी कारण से अस्वीकृत या वापस लिए जाने की स्थिति में, एजेंसी इन दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार पंजीकरण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, अन्यथा पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा तथा एजेंसी को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसा कोई भी पंजीकरण धारण करने से अयोग्य ठहराया जाएगा।

14. विद्यमान रेटिंग एजेंसियों के संबंध में प्रावधान

14.1 ये दिशानिर्देश विद्यमान टीवी रेटिंग एजेंसियों पर भी लागू होंगे। विद्यमान एजेंसियां अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत पंजीकरण करेंगी।

14.2 कोई भी रेटिंग एजेंसी तब तक रेटिंग तैयार एवं प्रकाशित नहीं करेगी जब तक कि वे इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती हैं।

14.3 टीवी वितरण प्लेटफॉर्म और / या ओटीटी प्लेटफॉर्म इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत पंजीकरण या अनुमति प्राप्त किए बिना, अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जा रहे प्रसारकों / चैनलों के आवधिक दर्शक संख्या के ऑकड़ें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकते हैं।

15. आवेदन और पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया

15.1 सभी आवेदक निर्धारित प्रपत्र में, तीन प्रतियों में, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

15.2 आवेदन पत्र (फॉर्म 1) में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, यदि आवेदक निर्धारित अनुसार सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात पात्र पाया जाता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय आवेदक को टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण जारी करेगा।

16. विवाद

16.1 कंपनी यह उपक्रम करेगी कि एजेंसी या कंपनी, उसके एजेंटों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों या सेवकों की ओर से किसी भी त्रुटि या कृत्य के कारण सरकार के विरुद्ध उत्पन्न किसी भी कार्रवाई, दावा, वाद, कार्यवाही, क्षति या सूचना के संबंध में सरकार को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगी तथा उसे निरापद रखेगी।

17. अधिकार क्षेत्र

17.1 इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न सभी विवादों के लिए नई दिल्ली स्थित न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा।

18. पंजीकरण का नवीनीकरण

18.1 पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के उपरांत, एजेंसी प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकती है।"

19. पंजीकरण का हस्तांतरण

19.1 टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण का हस्तांतरण नहीं है।

20. रेटिंग का सृजन न होने पर कार्रवाई

20.1 यदि कंपनी द्वारा 180 दिनों से अधिक की अवधि तक निरंतर रेटिंग का सृजन एवं प्रकाशन नहीं किया जाता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय पंजीकरण निरस्त कर सकता है। पंजीकरण निरस्त किए जाने से पूर्व एजेंसी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।"

21. झूठी जानकारी देने पर कार्रवाई

21.1 यदि कंपनी केंद्रीय सरकार को झूठी जानकारी प्रस्तुत करती है, तो कंपनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। पंजीकरण निरस्त किए जाने से पूर्व एजेंसी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।"

22. विविध

22.1 "कंपनी को इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश, विनियम, दिशानिर्देश, निर्देश आदि का अनुपालन करना होगा।"

22.2 सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार को इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार होगा। इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

"टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र"

दिनांक .....

सेवा में,

सचिव,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
नई दिल्ली - 110001

विषय: टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन

महोदय,

मैं, कंपनी (कंपनी का नाम) ..... की ओर से अधिकृत व्यक्ति, एतद् द्वारा कंपनी के टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण हेतु निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता/करती हूँ:

1. आवेदक कंपनी का नाम:

   .....

2. कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की तारीख :

   .....

3. कंपनी का पंजीकरण ब्यौरा:

   .....

4. कंपनी का पैन नं.:

   .....

5. कंपनी के मुख्य उद्देश्य :

   क. .....

   ख. .....

ग. .....

6. सम्पर्क विवरण:

क. मुख्यालय का पता:

.....

ख. क्षेत्रीय कार्यालय का पता :

.....

ग. टेलीफ़ोन नंबर:

i. लैंडलाइन:

.....

ii. मोबाइल:

.....

iii. फैक्स:

.....

घ. ई-मेल:

.....

7. कंपनी की सकल परिसंपत्ति:

रुपये.....

क. इक्विटी पूंजी की संरचना :

i. अधिकृत शेयर पूंजी:

रु. .....

ii. चुकता (पेड-अप) शेयर पूंजी:

रुपये.....

ख. शेयर-होल्डिंग पैटर्न:

i. प्रत्यक्ष निवेश:

1. भारतीय .....%

2. विदेश .....%

3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा:

क. व्यक्ति: .....%

ख. कंपनी .....%

ग. एनआरआई: .....%

घ. ओसीबी .....%

ङ. पीआईओ .....%

ii. पोर्टफोलियो निवेश:

1. भारतीय .....%

2. विदेश .....%

3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का ब्योरा:

क. एफआईआई:

ख. एनआरआई:

ग. ओसीबी:

घ. पीआईओ:

iii. कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष):

.....

8. कंपनियों में इक्विटी शेयरहोल्डिंग:

क्रं. सं.	उन अन्य कंपनियों के नाम, जिनमें आवेदक कंपनी की इक्विटी अंशधारिता (शेयरहोल्डिंग) है"	क्या यह कंपनी रेटिंग एजेंसी अथवा प्रसारक/ विज्ञापनदाता /विज्ञापन एजेंसी है?"	"उस कंपनी की चुकता पूंजी"	"आवेदक कंपनी की चुकता पूंजी"	"अन्य कंपनी में आवेदक कंपनी की चुकता इक्विटी का प्रतिशत"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

9. निदेशक बोर्ड की जानकारी (सीईओ/एमडी से शुरू):

क्रं. सं.	नाम	अंशधारिता का प्रतिशत, यदि कोई हो"	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट, यदि कोई हो, का विवरण	वर्तमान धारित पद	पता	**क्या आप प्रसारण/विज्ञापन/विज्ञापन एजेंसी के व्यवसाय में संलग्न हैं? (हाँ/नहीं)"**

10. भुगतान की गई रजिस्ट्रेशन फ़ीस का विवरण:

क. राशि:

रु.....

ख. तारीख:

.....

ग. भारतकोश ट्रान्जैक्शन रेफरेंस नं.:

.....

(कृपया रसीद की एक कॉपी अटैच करें)

11. संलग्न दस्तावेज :

क. कंपनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति:

हाँ/नहीं

ख. कंपनी के स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति:

हाँ/नहीं

ग. कंपनी के संगम ज्ञापन (एमओए) की प्रति:

हाँ/नहीं

घ. आवेदक कंपनी हेतु (निर्धारित प्रारूप में - सारणी-1) तथा निवेशक कंपनियों हेतु (निर्धारित प्रारूप में - सारणी-2) शेयरहोल्डिंग पैटर्न:

हाँ/नहीं

ङ. कंपनी में विदेशी इक्विटी (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) की कैलकुलेशन शीट, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुमोदन की प्रति सहित:

हाँ/नहीं

च. कंपनी के निदेशक बोर्ड का विवरण:

हाँ/नहीं

छ. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा निवल संपत्ति का प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप में - सारणी-3):

हाँ/नहीं

ज. उन अन्य कंपनियों की चुकता इक्विटी पूंजी का विवरण, जिनमें आवेदक कंपनी की शेयरहोल्डिंग है, तथा उन सभी कंपनियों में आवेदक कंपनी की शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत: हाँ/नहीं

i. अन्य अनुलग्नक

i. .....

ii. .....

iii. .....

iv. .....

12. शपथ-पत्र: प्रपत्र-1क में अपेक्षित, 20 रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित, शपथ-पत्र संलग्न हैं।

मैं/हम, ... आवेदक, एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त तथ्य पूर्णतः सही हैं।

स्थान: (आवेदक के हस्ताक्षर)

[कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]

दिनांक: नाम:

कंपनी की मुहर

शपथपत्र/घोषणा (20/- रु. के स्टाम्प पेपर पर एवं नोटरीकृत)

जबकि, मैंने, श्री _____ पुत्र श्री _____ (पदनाम) _____के रूप में, मैसर्स_____ की ओर से टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया है, यह घोषित करता हूँ कि–

(i) हम कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।

(ii) हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के अनुसार, हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक है: रेटिंग सेवाएँ* या बाजार अनुसंधान (*जो लागू न हो उसे हटा दे)।

(iii) कंपनी ऐसी कोई गतिविधि जैसे परामर्श या कोई अन्य सलाहकार भूमिका नहीं निभाएगी, जिससे रेटिंग के मुख्य उद्देश्य के साथ संभावित हितों का टकराव हो।

(iv) हमारी कंपनी के प्रवर्तक कंपनी/निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य प्रसारण/विज्ञापन/विज्ञापन एजेंसी के व्यवसाय में संलग्न नहीं है तथा इस प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं अपनाएगा और न ही ऐसी किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य बनेगा जो इस प्रकार की गतिविधि में संलग्न हो।

(v) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना कंपनी के निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(vi) हमारी कंपनी/कानूनी इकाई की प्रत्यक्ष रूप से अथवा इसके सहयोगियों या परस्पर संबद्ध उपक्रमों के माध्यम से कुल इक्विटी हिस्सेदारी, रेटिंग एजेंसियों तथा प्रसारकों/विज्ञापनदाताओं/ विज्ञापन एजेंसियों दोनों में या एक ही क्षेत्र में कार्यरत एक से अधिक रेटिंग एजेंसियों में, चुकता पूंजी के 10% से कम है।

(vii) आवेदक कंपनी के प्रत्येक व्यक्तिगत प्रवर्तक की, सभी कंपनियों को मिलाकर, चुकता इक्विटी में हिस्सेदारी 10% से कम है।

(viii) हमारी कंपनी भारत में टेलीविजन रेटिंग के विनियमन हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी विनियमों/आदेशों/निर्देशों के अनुसार टेलीविजन दर्शक मापन कार्य करेगी।

(ix) हम पहचाने गए मीटर्ड घरों में प्रसारण/विज्ञापन/विज्ञापन एजेंसी के किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य सदस्य को शामिल नहीं करेंगे।

(x) कंपनी के निदेशक मंडल/मुख्य कार्यपालकों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। साथ ही यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल/मुख्य कार्यपालकों को पिछले 10 (दस) वर्षों में भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

हस्ताक्षर

नाम: _____

पदनाम: _____

कंपनी की मुहर

तालिका-1

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु शेयरधारिता पैटर्न का प्रारूप

आवेदक कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न

मैसर्स _____ दिनांक _____ के अनुसार

शेयरों का अंकित मूल्य (रु. में) _____

क्र. सं.	**शेयरधारकों की श्रेणी**	**शेयरधारिता**			
		प्रत्यक्ष निवेश		पोर्टफोलियो निवेश	
		शेयरों की संख्या	कुल चुकता शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल चुकता शेयरों का %
1	भारतीय व्यक्ति				
2	भारतीय कंपनी				
3	विदेशी व्यक्ति				
4	विदेशी कंपनी				
5	अनिवासी भारतीय				
6	ओसीबी				
7	एफआईआई				
8	पीआईओ				
9	कोई अन्य				

(i) भारतीय कंपनी(यों) के लिए, प्रत्येक कंपनी के संबंध में तालिका-2 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार जानकारी भी प्रदान की जाए।

(ii) प्रत्येक भारतीय कंपनी द्वारा धारित, आवेदक कंपनी के शेयरों की संख्या का पूर्ण विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, डीपीआईआईटी की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाए।

तालिका -2

आवेदक कंपनी में शेयर रखने वाली प्रत्येक भारतीय कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण

(i) कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न

मैसर्स _____ दिनांक _____ के अनुसार

शेयरों का अंकित मूल्य (रु. में) _____

क्र. सं.	**शेयरधारकों की श्रेणी**	**शेयरधारिता**			
		प्रत्यक्ष निवेश		पोर्टफोलियो निवेश	
		शेयरों की संख्या	कुल चुकता शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल चुकता शेयरों का %
1	भारतीय व्यक्ति				
2	भारतीय कंपनी				
3	विदेशी व्यक्ति				
4	विदेशी कंपनी				
5	अनिवासी भारतीय				
6	ओसीबी				
7	एफआईआई				
8	पीआईओ				
9	कोई अन्य				

नोट: आवेदक कंपनी में शेयर धारी प्रत्येक भारतीय कंपनी के संबंध में जानकारी उपर्युक्त प्रारूप में दी जाए।

तालिका-3

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निवल मालियत के प्रमाणपत्र का प्रारूप

हमने मैसर्स _____ की लेखा पुस्तकों का, वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च, 20__ को समाप्त हुआ, के लिए लेखा परीक्षण किया है तथा यह प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स _____ की 31 मार्च, 20__ को निवल मालियत (Net worth) रु. _____ (रुपये शब्दों में _____) है।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स _____ (कंपनी का नाम) की निवल मालियत (Net worth) की निम्नानुसार गणना की गई है:-

क्र. सं.	**विवरण**	**राशि (रु. लाख में)**
1.	परिसंपत्तियों का बही मूल्य	
2.	काल्पनिक तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य	
3.	स्वामी निधि के अतिरिक्त देयताएँ	
4.	निवल मालियत {1-(2+3)}	

नोट:-

"निवल मालियत (Net worth)" से अभिप्राय चुकता पूंजी तथा निर्बंध आरक्षित निधियों के कुल योग से है, जिसमें से ऐसे प्रावधान या व्यय घटाए जाते हैं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। निवल मालियत किसी उद्यम की परिसंपत्तियों (काल्पनिक परिसंपत्तियों को छोड़कर) के पुस्तक मूल्य तथा उसकी देयताओं के बीच के अधिशेष के बराबर होती है।

"परिसंपत्तियों का बही मूल्य"

वह राशि जिस पर कोई मद लेखा पुस्तकों या वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाती है। यह उस विशेष निर्धारण आधार को नहीं दर्शाता है जिस पर राशि निर्धारित की गई है, जैसे लागत, प्रतिस्थापन मूल्य आदि।

"काल्पनिक परिसंपत्तियाँ"

ऐसी मदें जो बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों के अंतर्गत समूहित होती हैं परंतु जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता (जैसे लाभ-हानि खाते का डेबिट शेष)।

"देयताएँ"
स्वामी निधि के अतिरिक्त किसी उद्यम का वित्तीय दायित्व।

"स्वामी निधि" से अभिप्राय चुकता पूंजी तथा निर्बंध आरक्षित निधियों से है।

इस खंड के प्रयोजन हेतु स्पष्टीकरण: "निर्बंध आरक्षित निधियो" से अभिप्राय उन सभी आरक्षित निधियों से है जो लाभ से तथा शेयर प्रीमियम खाते से निर्मित किए गए हों, परंतु इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, अवमूल्यन प्रावधानों की वापसी तथा समामेलन से उत्पन्न आरक्षित निधि शामिल नहीं होंगी।